



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 14882 वर्ष 2025

श्री राजेश कुमार पांडेय

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: कमल यश साहवल

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कमल यश साहवल और राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. प्रत्यर्थियों की ओर से उप पुलिस अधीक्षक (अपराध), जिला गोरखपुर द्वारा 16.12.2025 को शपथपूर्वक प्रस्तुत प्रतिवाद प्रतिवेदन अभिलेख में उपलब्ध है। रिट याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि वह कोई अतिरिक्त प्रतिवाद प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव नहीं रखते और प्रकरण उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर निस्तारित किया जाए। अतः पक्षों की सहमति से रिट याचिका प्रारंभिक चरण में निस्तारित की जा रही है।
3. रिट याचिकाकर्ता का मामला है कि उसे 29.04.1997 को कॉन्स्टेबल (पुरुष) के पद पर समेकित वेतन पर नियुक्त किया गया, सेवा में मृत्यु होने पर नियम, 1974 के अंतर्गत। तथापि, प्रत्यर्थियों के अनुसार, रिट याचिकाकर्ता को नियुक्ति की तिथि से शासनादेशानुसार प्रदत्त लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं था और उसका वेतन 62,200/- रुपये से घटाकर 60,400/- रुपये कर दिया गया तथा वसूली आदेश 12.06.2025 को वित्त नियंत्रक और 14.07.2025 को पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर द्वारा पारित किए गए। उक्त लाभ न देने और वसूली आदेश के लिए केवल 05.11.2014, 28.04.2017, 02.12.2019 और 07.06.2022 के आदेश आधार बने।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. रिट याचिकाकर्ता ने उक्त कारणों को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की है।
5. रिट याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अब यह मुद्दा पुनर्विचार का विषय नहीं रहा, विशेष रूप से जब इसी प्रकार की स्थिति में अन्य कर्मचारियों ने माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच का रुख किया था, जैसे **रिट - ए संख्या 11744 वर्ष 2024 (असी (पुरुष) शफीक अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य)** सहित अन्य रिट याचिकाओं में, जिसमें 28.04.2017 और 02.12.2019 के शासनादेश तथा 07.06.2022 का कार्यालय आदेश रद्द किया गया। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता को सूचना नहीं दी गई।
6. विद्वान स्थायी अधिवक्ता, दूसरी ओर, प्रस्तुत करते हैं कि जो भी मामला हो, उसे पुनः देखना आवश्यक है, विशेष रूप से जब 28.04.2017 और 02.12.2019 के शासनादेश तथा 07.06.2022 का कार्यालय आदेश समन्वित बेंच द्वारा रद्द किए जा चुके हैं।
7. मैंने पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेखों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया।
8. प्रतीत होता है कि पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि विवाद वही है, जो वर्तमान प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष है और जिसे **असी (पुरुष) शफीक अहमद (उपरोक्त)** में देखा गया, जिसमें निम्नलिखित आदेश दिए गए थे:

"1. याचिकाकर्तागण के अधिवक्ताओं और प्रत्यर्थियों की ओर से राज्य अधिवक्ता को सुना गया।
2. ये रिट याचिकाएं 28.04.2017 और 02.12.2019 के शासनादेश, साथ ही 07.06.2022 के परिणामी कार्यालय आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई हैं, जिनके द्वारा आश्वस्त कैरियर प्रगति योजना के लाभों के लिए पात्रता नियमित वेतनमान के प्रारंभिक लाभ से नहीं, बल्कि समेकित वेतन पर नियुक्ति की तिथि से मानी गई थी। साथ ही यह आदेश चुनौती का विषय है कि याचिकाकर्तागण के वेतन से वसूली करने का आदेश पारित किया गया क्योंकि उन्हें प्रारंभिक प्रवेश के समय वेतनमान गलत रूप से प्रदान किया गया था।
3. उक्त रिट याचिकाओं को पहले ही समेकित किया गया था क्योंकि वे समान कारण से उत्पन्न हुई थीं और इसलिए इन्हें इस सामान्य निर्णय एवं आदेश के माध्यम से निस्तारित किया जा रहा है।
4. याचिकाकर्तागण के अधिवक्ताओं ने प्रस्तुत किया कि उन्हें प्रारंभ में उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती (सेवा में मृत्यु होने पर) नियम, 1974 (जिसे आगे 'नियम 1974' अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कहा जाएगा) के अंतर्गत सहानुभूतिपूर्ण आधार पर नियुक्त किया गया था, किन्तु उनकी प्रारंभिक नियुक्ति आदेशों में उल्लेख था कि उन्हें केवल अन्य मान्य भत्तों सहित निश्चित समेकित वेतन पर नियुक्त किया गया। प्रस्तुत किया गया कि उसके पश्चात् विभिन्न आदेशों के माध्यम से, याचिकाकर्तागण को नियमित वेतनमान में स्थान दिया गया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अधिकांश याचिकाकर्तागण को सहानुभूतिपूर्ण आधार पर सैनिक-प्रहरी (पुरुष) के पद पर नियुक्त किया गया और उसके पश्चात् उन्हें सहायक उप निरीक्षक (पुरुष) के पद पर पदोन्नत किया गया, जिसके पश्चात् ही उन्हें नियमित वेतनमान उपलब्ध कराया गया।

5. यह भी प्रस्तुत किया गया कि 28.04.2017 और 02.12.2019 के आक्षेपित शासनादेशों तथा 07.06.2022 के परिणामी आक्षेपित कार्यालय आदेश के माध्यम से, आश्वस्त पेशा प्रगति योजना का लाभ याचिकाकर्तागण को केवल उस तिथि से देने का निर्देश दिया गया जब उन्हें नियमित वेतनमान में स्थान दिया गया, न कि सहानुभूतिपूर्ण आधार पर समेकित वेतन पर प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से।

6. यह भी प्रस्तुत किया गया कि उक्त शासनादेश याचिकाकर्तागण की नियुक्ति के स्वभाव के विपरीत हैं, क्योंकि यह स्थापित कानून है कि 'नियम 1974' के अंतर्गत सहानुभूतिपूर्ण नियुक्तियां भौतिक स्वरूप की होती हैं, चाहे उन्हें दी जाने वाली समेकित भत्तों की प्रकृति कुछ भी हो।

7. याचिकाकर्तागण के अधिवक्ताओं ने इस न्यायालय के डिवीजन बेंच के निर्णय, रवी करण सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 1999 (17) एलसीडी 641 और इस न्यायालय के समन्वित बेंच के निर्णय, प्रवीण कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2023) 10 एडीजे 17 का सहारा लिया।

8. श्री संदीप शर्मा, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रतिवाद प्रतिवेदन के आधार पर प्रस्तुत किया कि आश्वस्त पेशा प्रगति योजना के प्रावधान 05.11.2014 के शासनादेश के अनुसार प्रदान किए गए हैं, जो स्पष्ट रूप से इस लाभ को किसी विशेष वेतनमान में और निर्दिष्ट सेवा अवधि तक सतत् संतोषजनक सेवा पूरी करने पर प्रदान करने का निर्देश देते हैं। प्रस्तुत किया गया कि चूंकि याचिकाकर्ता समेकित वेतन पर नियुक्त थे, अतः 05.11.2014 के शासनादेश के प्रावधान केवल उस तिथि से लागू होंगे जब याचिकाकर्तागण को नियमित वेतनमान में स्थान दिया गया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान विवाद केवल आश्वस्त पेशा प्रगति योजना के लाभ के संबंध में है, क्योंकि अन्य लाभों के लिए याचिकाकर्तागण की सेवा प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से ही ध्यान में ली अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जा चुकी है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि यह तथ्य कि याचिकाकर्तागण को समेकित वेतन पर नियुक्त किया गया था, किन्तु उन्हें नियमित वेतनमान गलत तरीके से प्रदान किया गया था, इसलिए वसूली आदेश दिए गए।

9. पक्षों के अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियों और अभिलेखों के अध्ययन के पश्चात् यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या सहानुभूतिपूर्ण आधार पर नियुक्त याचिकाकर्ता, सेवा में प्रवेश की तिथि से समेकित वेतन पर, आश्वस्त पेशा प्रगति योजना के लाभ के पात्र होंगे या उस तिथि से जब उन्हें नियमित वेतनमान में स्थान दिया गया।

10. याचिकाकर्तागण की नियुक्ति के स्वभाव के संबंध में, उक्त पक्ष पहले ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम बृजेश कुमार, ए.आई.आर. 2025 एस.सी. (सिविल) 62 तथा इस न्यायालय के द्वि-सदस्यीय पीठ द्वारा रवी करण सिंह (उपरोक्त) के प्रकरण में निस्तारित किया जा चुका है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह निर्णय दिया गया कि सहानुभूतिपूर्ण आधार पर नियुक्ति का स्वभाव प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से ही भौतिक होता है। निर्णय का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:

"यह याचिका हमारे समक्ष उस संदर्भ पर आई है, जो विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा 19.12.1997 के आदेश से दिया गया था। शामिल मुद्दा बहुत सरल है, अर्थात्, क्या सेवा में मृत्यु होने पर नियम के अंतर्गत की गई नियुक्ति स्थायी नियुक्ति है या अस्थायी नियुक्ति। विद्वान एकल न्यायमूर्ति के अनुसार, इस न्यायालय ने पहले यह निर्णय दिया था कि सेवा में मृत्यु होने पर नियम के अंतर्गत की गई नियुक्ति स्थायी नियुक्ति है, जैसे कि बुढ़ी सागर दुबे बनाम डी.ओ.आई.एस., (1993) यूपीएलबीईसी 197; गुलाब यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (1991) 2 यूपीएलबीईसी 995 और धीरेन्द्र प्रताप सिंह बनाम डी.आई.ओ.एस. एवं अन्य, (1991) 1 उत्तर प्रदेश न्याय संहिता 427। 19.12.1997 के संदर्भ आदेश देने वाले एकल न्यायमूर्ति ने उपरोक्त निर्णयों से असहमति व्यक्त की और इस कारण मामला बड़े पीठ के समक्ष भेजा।

हमारे विचार में, सेवा में मृत्यु होने पर नियम के अंतर्गत की गई नियुक्ति को स्थायी नियुक्ति माना जाना चाहिए, अन्यथा यदि ऐसी नियुक्ति अस्थायी मानी जाए तो इसका परिणाम यह होगा कि नियुक्ति के तुरंत पश्चात् सेवा समाप्त की जा सकती है, जिससे सेवा में मृत्यु होने पर नियम का मूल उद्देश्य रद्द हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार की नियुक्ति अचानक मृत्यु होने पर परिवार

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को त्वरित राहत देने के लिए की जाती है। अतः हम यह निर्णय देते हैं कि सेवा में मृत्यु होने पर नियम के अंतर्गत की गई नियुक्ति स्थायी है और अस्थायी नियुक्ति नहीं, और इस कारण 1975 के उत्तर प्रदेश अस्थायी सरकारी कर्मचारी (सेवा समाप्ति) नियम ऐसे नियुक्तियों पर लागू नहीं होंगे।

याचिका के अनुसार निस्तारित की जाती है।"

11. उक्त निर्णय और प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अवलोकन से यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्तागण को प्रारंभ में 'नियम 1974' के अंतर्गत सहानुभूतिपूर्ण आधार पर नियुक्त किया गया था, किन्तु समेकित वेतन पर। जैसा कि उपरोक्त में कानून की व्याख्या की गई, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्तागण की नियुक्ति का स्वभाव भौतिक है, अतः उन्हें प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से ही जिस पद पर नियुक्त किया गया, उसके लिए नियमित वेतनमान में रखा जाना आवश्यक था, न कि केवल समेकित वेतन पर नियुक्त किया जाना।

12. अतः यह पूर्णतया स्पष्ट है कि याचिकाकर्तागण को समेकित वेतन पर नियुक्त करना उनकी भौतिक नियुक्तियों के स्वभाव के विपरीत होगा। ऐसी परिस्थितियों में यह निर्णय दिया जाता है कि याचिकाकर्तागण की केवल समेकित वेतन पर नियुक्ति और नियमित वेतनमान में न रखना प्रतिवादी पक्ष की ओर से स्पष्ट त्रुटि थी।

13. जैसा कि उपरोक्त में स्पष्ट किया गया कि प्रारंभिक नियुक्ति ही भौतिक स्वभाव की थी और याचिकाकर्ता समेकित वेतन के बजाय नियमित वेतनमान के पात्र थे, इसलिए बाद की तिथि से आश्वस्त पेशा प्रगति योजना के लागू होने का प्रश्न अप्रासंगिक हो जाता है। अतः यह निर्णय दिया जाता है कि याचिकाकर्ता प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से ही नियमित वेतनमान के पात्र थे, और 05.11.2014 के शासनादेश के तहत उनका लाभ भी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से ही उन्हें प्राप्त होगा, न कि उस तिथि से जब उन्हें बाद में नियमित वेतनमान प्रदान किया गया।

14. यह भी स्पष्ट है कि 21.11.2013 के पूर्व शासनादेश से कि राज्य सरकार ने पहले ही सहानुभूतिपूर्ण आधार पर नियुक्त याचिकाकर्तागण को ऐसे लाभ प्रदान किए थे, किन्तु उक्त सुविधा आक्षेपित शासनादेशों एवं कार्यालय आदेशों द्वारा याचिकाकर्तागण की नियुक्ति के स्वभाव के संबंध में गलत अवधारणा के आधार पर समाप्त कर दी गई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



15. उपरोक्त विचारों के दृष्टिगत, आक्षेपित शासनादेश दिनांक 28.04.2017 और 02.12.2019 तथा परिणामी आक्षेपित कार्यालय आदेश दिनांक 07.06.2022 को याचिकाकर्तागण को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से आश्वस्त पेशा प्रगति योजना के लाभ देने से रोकने के संबंध में सेरिओरारी प्रकृति के रिट द्वारा रद्द किया जाता है।

16. परिणामस्वरूप, याचिकाकर्तागण के विरुद्ध प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से उन्हें प्रदान किए गए वेतनमान की वसूली/समायोजन के लिए जारी विभिन्न वसूली आदेश भी सेरिओरारी प्रकृति के रिट द्वारा रद्द किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, आदेशात्मक प्रकृति का रिट जारी किया जाता है, जिससे प्रतिवादी पक्षों को निर्देशित किया जाता है कि आक्षेपित वसूली नोटिस/आदेशों के आधार पर की गई कटौतियों को शीघ्रता से संबंधित प्राधिकारी के समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से आठ सप्ताह के भीतर वापस करें।

17. परिणामस्वरूप, रिट याचिकाएँ सफल होती हैं और अनुमोदित की जाती हैं। पक्ष अपने-अपने खर्च वहन करेंगे।"

9. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह से यह पूछे जाने पर कि उक्त आदेश पर अपील की गई थी या नहीं, उन्होंने कोई ठोस उत्तर नहीं दिया, तथापि उन्होंने कहा कि मामले पर पुनर्विचार किया जाएगा। न्यायालय यह भी पाता है कि याचिकाकर्ता को वेतन में कटौती से पूर्व नोटिस नहीं दिया गया।

10. तदनुसार, रिट याचिका निम्नलिखित प्रकार से निस्तारित की जाती है:

(क) वित्त नियंत्रक द्वारा दिनांक 12.06.2025 और पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर द्वारा दिनांक 14.07.2025 को पारित आदेश रद्द किए जाते हैं।

(ख) मामला संबंधित प्राधिकारी के पास दो माह की अवधि में प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से कानून के अनुसार नया आदेश पारित करने के लिए वापस भेजा जाता है, जिसमें **असी (पुरुष) शफीक अहमद (उपरोक्त)** के निर्णय का पालन किया जाएगा।

11. तदनुसार, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

12. आज प्रस्तुत किए गए निर्देश अभिलेख में ले लिए जाते हैं और परिशिष्ट ए के रूप में अंकित किए जाते हैं।

19 जनवरी, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय. का मूल संस्करण ही मान्य होगा।